

निदेशालय: उ०प्र० कौशल विकास मिशन
परिसर: राजकीय आई०टी०आई०, अलीगंज,
पत्रांक: ११९ / उ०प्र०कौ०वि०मि०/२०२३-२४/२३९१,
लखनऊ: दिनांक: १७, अगस्त, २०२३

कार्यालय-ज्ञाप

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के सोशल मीडिया सेन्टर में कार्यरत कार्मिकों को कम्प्यूटर तथा आई०टी० आधारित नवीन सॉफ्टवेयर्स पर कार्य करने हेतु कौशल उन्नयन/प्रशिक्षण प्रदान किये जाने का अनुरोध पुलिस विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन से किया गया है, जिस पर सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन में सूचीबद्ध राजकीय प्रशिक्षण प्रदाता यथा राजकीय आई०टी०आई०, अलीगंज-लखनऊ को चालू वित्तीय वर्ष २०२३-२४ में एस०एस०डी०एफ० योजनान्तर्गत निम्नलिखित जॉब-रोल में अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण का अतिरिक्त लक्ष्य आवंटित किया जाता है:-

Name of the Job Role:	Certified Office Automation and IT Assistant
NCVET Code:	2022/ITES/NIELIT/06334
NSQF Level:	3
Training Duration:	450 Hours [Theory-180 Hrs. (Including 30 Hrs. of Employability Skills), Practical-240 Hrs., OJT-30 Hrs.]
Common Cost Norms Category:	II (2)

उपरोक्त आवंटित लक्ष्य हेतु निम्नलिखित दिशा-निर्देश प्रभावी होंगे:-

- 1 बैच/बैचों का संचालन उ०प्र० कौशल विकास मिशन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा तथा उनका अनुपालन राजकीय प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- 2 बैच/बैचों का प्रशिक्षण NSQF Compliance Courses के अन्तर्गत किया जायेगा तथा प्रशिक्षार्थियों के मूल्यांकन से सम्बन्धित कार्यवाहियां सम्बन्धित Assessment Agency के माध्यम से पूर्ण की जानी सुनिश्चित की जायेगी।
- 3 राजकीय प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा सम्बन्धित जॉब रोल में टी०ओ०टी० धारक प्रशिक्षकों की उपलब्धता की पुष्टि के उपरान्त ही बैच/बैचों को बनाने की अनुमति होगी।
- 4 उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम की प्रकृति व स्थल सामान्य से पृथक होने के क्रम में जी०टी०पी० को विभिन्न कार्यों के लिये किसी अन्य संस्था/कार्मिक की सहायता प्राप्त किये जाने व एक से अधिक स्थलों पर प्रशिक्षण प्रदान किये जाने की अनुमति इस शर्त के अधीन प्रदान की जा रही है कि जी०टी०पी० द्वारा इस प्रकार के कार्यों

को प्रारम्भ करने से उ०प्र० कौशल विकास मिशन से आवश्यकतानुरूप अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

उक्त दिशा-निर्देशों के आलोक में मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के सोशल मीडिया सेन्टर में कार्यरत कार्मिकों को कम्प्यूटर तथा आई०टी० आधारित नवीन सॉफ्टवेयर्स पर स्वीकृत किये गये उक्त उल्लिखित जॉब-रोल में प्रशिक्षण, मूल्यांकन व प्रमाणन आदि को समस्त सम्बन्धित द्वारा पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

संलग्नक: यथोक्त।

(आन्द्रा वामसी)
आई०ए०एस०
मिशन निदेशक।

पत्रांक: १९१९ / उ०प्र०कौ०वि०मि०/२०२३-२४/२३९१, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 2 प्रमुख सचिव, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
- 3 जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ।
- 4 निदेशक, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, लखनऊ को इस को इस आशय से कि प्रशिक्षण पूर्ण होने के पश्चात मूल्यांकन कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
- 5 जिला समन्वयक, जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, लखनऊ।
- 6 राजकीय प्रशिक्षण प्रदाता यथा राजकीय आई०टी०आई०, अलीगंज-लखनऊ।
- 7 समस्त प्रकोष्ठ, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन निदेशालय, लखनऊ।
- 8 आई०टी० प्रकोष्ठ, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन निदेशालय, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि वित्तीय वर्ष २०२३-२४ अन्तर्गत आवंटित राजकीय प्रशिक्षण प्रदाता के अतिरिक्त लक्ष्य को यू०पी०एस०डी०एम० पोर्टल पर अंकित/अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।
- 9 गार्ड फाइल।

(आन्द्रा वामसी)
आई०ए०एस०
मिशन निदेशक।